न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 114/2015/ जिला–नागौर

1. छीतरमल गुप्ता पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी हाल 105/57 अहिंसा मार्ग, विजय पथ, मानसरोवर जयपुर।
2. गोपाल लाल पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी हाल 5/58 मालवीय नगर जयपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. घीसालाल पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी भादवा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. सोहन लाल पुत्र भंवरलाल जाति अग्रवाल निवासी बी–21 अवन्ती अपार्टमेन्ट हरिदास नगर सीम्पोली रोड बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई 400092
3. गीता देवी पत्नी रामवल्लभ रामचन्द्रका अग्रवाल निवासी नयाशहर कुचामन सिटी तहसील नावां जिला नागौर।
4. विमला देवी पत्नी शिवसहाय अग्रवाल निवासी दुकान नम्बर 255 अमर मेडिकल हॉल किशनपोल बाजार जयपुर।
5. राजस्थान सरकार तहसीलदार नांवा सिटी जिला नागौर।

.....रेस्पोन्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, नांवा दिनांक 09–10–15
प्रकरण संख्या 04/2015 बउनवान छीतरमल पुत्र
भंवरलाल बनाम घीसालाल पुत्र भंवरलाल वगैरह

उपस्थित : 1. श्री प्रशान्त सोनी व हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री भवानी सिंह शक्तावत, योगेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट् संख्या 1

निर्णय

दिनांक : 29–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवलीकंला की विवादग्रस्त आराजियात के खसरा नम्बर 947, 948, 949 रकबा 20.69 है0 में से आधा हिस्सा के नामान्तरकरण संख्या 35 आदेश दिनांक 6–1–1992 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा

रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–2–1996 को अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 6–1–1992 को निरस्त किया जाकर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, नांवा ने अपील पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये इसके बाद बिना नोटिस तामील कराये अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17–6–1997 को उक्त अपील का निस्तारण कर नामान्तरकरण संख्या 35 ग्राम देवली को पुनः स्वीकार कर लिया। तहसीलदार, नांवा के उक्त आदेश दिनांक 17–6–1997 के विरूद्ध अपीलांट ने पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष अपील की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–3–2015 द्वारा स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नांवा का आदेश दिनांक 17–6–1997 निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करे। उक्त प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नांवा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 09–10–2015 को अंतिम आदेश पारित कर भंवरलाल द्वारा मृत्युपूर्व में की गई कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 35 स्वीकार कर लिया एवं संबंधित पटवारी हलका को राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करने के निर्देश जारी कर दिये। तहसीलदार, नांवा के आदेश दिनांक 09–10–2015 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की मौखिक बहस सुनी गई तथा रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–2–1996 एवं दिनांक 27–3–2015 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण को गुणावगुण व दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर युक्तियुक्त न्याय संगत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ तहसीलदार, नांवा को प्रतिप्रेषित किया था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नांवा द्वारा विधिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों को तामीली ही नही हुई। दिनांक 26–5–2015, 24–7–2015, दिनांक 3–8–2015 को घीसालाल के अलावा अन्य रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी करने के आदेश तो अवश्य है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट सोहनलाल गीता देवी, विमला देवी आदि को कभी तामील ही नहीं हुए और न ऐसा कोई उल्लेख संबंधित आदेशिकाओं में है। तब प्रकरण में पुनः विधिक प्रावधानों की उपेक्षा कर सक्षम तामीलों के ही पत्रावली में विधिविरूद्ध निर्णय

पारित कर दिया जो सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त प्रकरण में विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर दिनांक 26–8–2015 को बिना किसी समुचित आदेश के रेस्पोन्डेन्ट के बयान दर्ज किये गये। अपीलांट पक्ष को न तो साक्ष्य का मौका दिया गया और न ही साक्ष्य बिन्दु तय किये गये। दिनांक 12–8–2015 को यह आदेश जारी किया गया कि कथित वसीयत की मूल प्रति दिखाने हेतु प्रस्तुत की जावे। दिनांक 3–8–2015 को आदेशिका में आपत्तिकर्ता को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया था परन्तु दिनांक 12–8–2015 के आदेश से उक्त पूर्व आदेश साक्ष्य के संबंध में महत्वहीन हो गया। दिनांक 12–8–2015 को साक्ष्य बन्द करने का भी कोई आदेश नहीं है ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता अपीलांट छीतरमल को व गोपाललाल को तो साक्ष्य का कोई मौका ही नहीं दिया गया और न ही साक्ष्य का मौका समाप्त किया गया दिनांक 12–8–2015 तथा 19–8–2015 की आदेशिका में ऐसा कोई आदेश नहीं है जिससे प्रतीत होता हो कि पत्रावली को रेस्पोन्डेन्ट की साक्ष्य हेतु नियत की गई है। इसके बावजूद दिनांक 26–8–2015 को घीसालाल और ज्वाला, प्रताप सिंह के बयान ले लिये गये जबकि दिनांक 26–8–2015 को अपीलांट छीतरमल स्वयं न्यायालय में उपस्थित था और आदेशिका में उनके हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 26–8–2015 से स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त गवाहों से जिरह का कोई मौका नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 4–9–2015 व दिनांक 10–9–2015 को आदेश 11 नियम 4 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर किसी प्रकार का कोई पृथक से आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त आवेदन को न तो स्वीकार किया गया और न खारिज किया केवल शामिल मिसल करना कोई विधिक आदेश नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 22–9–2015 या इससे पूर्व किसी सुसंगत तिथि पर पत्रावली को कभी भी अंतिम बहस में निर्धारित नहीं किया गया। दिनांक 30–9–2015 को भी पीठासीन अधिकारी नहीं होने से कोई समुचित आदेश पारित नहीं हुआ और पत्रावली को दिनांक 6–10–2015 को निर्धारित रखा जाकर आदेश पारित किया गया जो विधिक सिद्धान्तों के विपरीत होने व पक्षकारों व उनके अधिवक्ताओं को बिना सुने दिनांक 9–10–2015 को निर्णय हेतु रख दिया जबकि उक्त प्रकरण में पत्रावली को न तो कभी बहस के लिए रखा न कभी बहस सुनी गई और न ही पक्षकारों को बहस का मौका दिया गया।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयत पूर्णतया गलत है तथा साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। प्रथम तो उक्त वसीयत पूर्णतया फर्जी है जिस पर एक्ट अपोन नहीं किया जा सकता है। फिर वसीयत पर वसीयत की विधि अनुसार कोई साक्ष्य ही नहीं है । साक्षी को यह बताना होता है कि उक्त साक्षी के समक्ष ही उक्त वसीयत लिखी गई है साक्षी के समक्ष ही कथित वसीयतकर्ता ने वसीयत को भली प्रकार से पढ़ लिया अथवा सुन लिया एवं समझ लिया और इसके पश्चात उक्त साक्षी के समक्ष वसीयतकर्ता ने अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान

लगाया हो। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत में से केवल बताये गये जवाला प्रताप सिंह को ही आधा अधूरा परीक्षित किया गया है बाकी साक्षियों के केवल वसीयत पर नाम लिखे है हस्ताक्षर नहीं है न ही उन्हें पेश किया गया है तब ऐसे कथित दस्तावेज का मूल्य कुछ भी नहीं है। यद्यपित विधिक रूप से वसीयत का पंजीकरण पूर्णतः अनिवार्य तो नहीं है परन्तु अपंजीकृत दस्तावेज को बहुत ही गहनता व गम्भीरता से जान परखकर ही उस पर एक्ट अपोन होना चाहिए क्योंकि ऐसे दस्तावेज कमजोर प्रकृति के दस्तावेज होते है। उक्त कथित दस्तावेज पर निष्पादन की कोई तिथि अंकित नहीं है न तो कथित निष्पादनकर्ता द्वारा न टंकण कर्ता द्वारा और किसी कथित साक्षी द्वारा ही तिथि का अंकन किया गया है। उक्त कथित वसीयत को नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 30–9–1991 को अपने हस्ताक्षर करना बताया है जो भी सन्देहास्पद है। उक्त वसीयत को नोटेरी ने न तो अपनी पंजिका में किसी नम्बर पर दर्ज किया और न ही उक्त दस्तावेज को भी अटेस्ट किया है ऐसी स्थिति में यह कथित दस्तावेज नोटेरी से अनुप्रमाणित नहीं माना जा सकता है। उक्त स्टाम्प खरीदी भी पूर्णतया फर्जी है प्रथम तो ऐसा स्टाम्प किस बाबत लिया गया है यह भी स्पष्ट नहीं है फिर एक स्टाम्प तो क्रमांक 1994 पर दर्ज है और दूसरा स्टाम्प 1996 पर दर्ज है तब क्रमांक 1995 का स्टाम्प कहां गया किसके उपयोग में आया यह कहीं दर्शित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त कथित वसीयत जिसके प्रथम स्टाम्प पर किसी निष्पादनकर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं है वह सम्पूर्ण दस्तावेज किसी भी रूप में विधिक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है इसके आधार पर दिया गया निर्णय पूर्ण रूप से अवधिक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नावां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 947, 948, 949 कुल किता 3 कुल रकबा 20.69 हैक्टर में से आधा हिस्सा के मूल खातेदार भंवरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा क्रय किया गया था। उक्त आराजियात उनकी स्वअर्जित आराजी है। मूल खातेदार भंवरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी वसीयत निष्पादित कर विवादग्रस्त आराजियात अपने पुत्र वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 घीसालाल को मालिकाना हक प्रदान कर दिये थे। भंवरलाल पुत्र मांगीलाल का देहान्त होने के पश्चात घीसालाल द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु तहसीलदार नांवा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार, नांवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 6–1–1992 वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपील संख्या 36/92 छीतरमल व अन्य बनाम घीसालाल व अन्य प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–2–1996 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार, नांवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। तत्पश्चात तहसीलदार, नांवा द्वारा अपील संख्या 1/96 दर्ज रजिस्टर की

जाकर पक्षकारों को नोटिस जारी किये परन्तु पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार, नांवा द्वारा दिनांक 17–6–1997 को निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 35 को पुनः स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट द्वारा पुनः अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष की बतौर अपील संख्या 19/2012 बउनवान छीतरमल व अन्य बनाम सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–3–2015 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12–8–2015 से स्पष्ट है कि अपीलांट छीतरमल पुत्र श्री भंवरलाल एवं गोपाल लाल पुत्र भंवर लाल अग्रवाल स्वयं उपस्थित एवं अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र पेश किया कि हमारे पिताजी भंवरलाल पुत्र मांगीलाल की सम्पत्ति में उनके वैद्य उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे एवं एक प्रार्थना पत्र श्री भंवर लाल महाजन द्वारा की गई वसीयत की मूल प्रति दिखाये जाने बाबत प्रस्तुत किया ताकि गवाहों की जानकारी हो सके। रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल के द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में साक्ष्य हेतु काफी अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः साक्ष्य बन्द की जावे। तत्पश्चात प्रकरण में अपीलांट छीतरमल द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 घीसालाल एवं वसीयत के गवाह ज्वाला प्रसाद सिंह के बयान रेकार्ड पर लिये जाकर विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 9–10–2015 द्वारा भंवरलाल द्वारा स्वर्गवास पूर्व की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 35 स्वीकृत किया जाना नियमानुसार व न्यायोचित मानते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट छीतरमल द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उनका यह लिखित में यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात स्व0 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल की खरीदशुदा स्वअर्जित आराजी है जिसका कि उन्हें किसी भी रूप में हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। स्व0 भंवरलाल द्वारा वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्य 1 घीसालाल के पक्ष में स्वयं की इच्छा से वसीयत निष्पादित की गई है एवं उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 35 तस्दीक किया गया है। अपीलांट छीतरमल द्वारा उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है। उक्त वसीयत आज भी प्रभाव में है। जब तक वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाकर निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक वसीयत प्रभावी रहेगी एवं तहसीलदार, नांवा द्वारा वसीयत के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण पूर्णतया वैधानिक है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के गवाह जवाला प्रसाद के बयान दर्ज कराये गये है जिसमें उसने वसीयत को सही होना बताया है। ऐसी स्थिति में जब वसीयत के गवाह द्वारा वसीयत को सही होना साबित किया गया है तो वसीयत की सत्यता पर किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयत के गवाह से वसीयत को साबित करवाये जाने के पश्चात उसके आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण पूर्ण रूप से वैधानिक है।

उनका यह भी तर्क है कि पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट दिनांक 9–9–2015 एवं अपीलांट छीतरमल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 6–10–2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार मौके पर रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल का काबिज होना पूर्ण रूप से सिद्ध है। अतः मूल खातेदार स्व0 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल की वसीयत रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल के पक्ष में निष्पादित की गई है एवं रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल ही विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 घीसालाल के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण पूर्ण रूप से वैधानिक है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ष को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसियत वसियतकर्ता की विधिक घोषणा है जिसके अन्तर्गत वह अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्यु के पश्चात उसकी इच्छानुसार व्यवस्थित करता है। इसी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसियत का अनुप्रमाणित होना आवश्यक है । वसियत या अन्य दस्तावेजों के निष्पादन का अर्थ निष्पादनकर्ता द्वारा अनुप्रमाणक साक्षी के समक्ष हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर सुपुर्द कर देना है । वसियत का पंजिकृत होना आवश्यक नहीं है, इसलिए वसीयत को अनुप्रमाणित कराना आवश्यक होता है। अभिलेख पर उपलब्ध वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर है एवं उसे नोटेरी पब्लिक द्वारा भी प्रमाणित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, नांवा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 06–01–1992 विधि सम्मत प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर अपने निर्णय दिनांक 26–2–1996 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–3–2015 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः तहसीलदार, नांवा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर

प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। उक्त आदेशों की पालना में तहसीलदार, नांवा द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में घोषणा का दावा करना चाहिए।'' जिससे यह स्पष्ट है कि यदि अपीलांट को अपने स्वत्व प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके ही प्राप्त कर सकते है।

उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार स्व0 भंवरलाल पुत्र मांगीलाल द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत रेस्पोन्डेन्ट घीसालाल के पक्ष में निष्पादित किया जाना सिद्ध है एवं वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर भी है एवं तहसीलदार, नांवा द्वारा गवाहों के बयान भी तस्दीक किये गये है जिनसे वसीयत की सत्यता पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। साथ ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 घीसालाल वर्तमान में विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त है। अतः ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 घीसालाल के पक्ष में वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 06–01–1992 पूर्ण रूप से विधिसम्मत है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलान्टस की अपील सारहीन, बलहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09–10–2015 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 4/2015 बउनवान छीतरमल पुत्र भंवरलाल बनाम घीसालाल पुत्र भंवरलाल वगैरह विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर